न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
97 / 2023	13.12.2023	16.07.2024

अनवान

1. संजयकुमार पुत्र देवकिशन जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

– प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र उदयलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भैरूलाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. निर्मला पुत्री बंशीलाल पत्नी चन्द्रकान्त शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्रकाशचन्द्र पुत्र बंशीलाल दत्तक पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रमेशचन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. बेणीबाई पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति सुथार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. रामलाल पुत्र तुलसीराम जाति सुथार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. झमकुबाई पत्नी पन्नालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. रतनलाल पुत्र पन्नालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मांगीबाई पुत्री पन्नालाल पत्नी शिवलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
13. मनिष पुत्र रमाकान्त जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. हरीश पुत्र रमाकान्त जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. श्यामलाल पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. कैलाशचन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. कमलाबाई पुत्री चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested

18. शान्ताबाई पुत्री चम्पालाल पत्नी किशनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी तरनावों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. बसन्ती पत्नी संजय कुमार जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

— अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़	प्रार्थी
अधिवक्ता श्री पवन शर्मा	अप्रार्थी स0 4 से 7
एकतरफा	शेष अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन की बस्ती के बाह्य क्षेत्र में आराजी खसरा संख्या 5095 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर, आराजी खसरा संख्या 5096 रकबा 0.21 हैक्ट0, आराजी संख्या 5101 रकबा 0.22 हैक्ट0, आराजी संख्या 7468/5105 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 स्थित है, जो कि प्रार्थी के तन्हा खातेदारी, स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 8 से 11, 13, 14, 16, 17, 18 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 24.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 3 व 12 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 12.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 15 व 19 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी।

हाजिर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया—

1. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में आराजीयात होना स्वीकार है मगर आराजी खसरा संख्या 1501 रकबा 0.22 हैक्ट0 पर प्रार्थी संजयकुमार का तन्हा कब्जा होना गलत अंकित किया है। आराजी संख्या 1501 पूर्व में कुल रकबा 43 आरी था जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता के नाम संयुक्त खाते दर्ज था समझौ[illegible] उक्त आराजी का विभाजन किया गया। जिसमें आराजी संख्या 1501 रकबा 0.[illegible] हैक्ट[illegible] कब्जा अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6 के पिता बंशीलाल व सात के पति [illegible] रखा गया व आराजी संख्या 7411/5101 प्रार्थी के पिता [illegible] रखा गया इसी अनुसार मौके पर काबिज है। इस प्रकार आराजी खसरा संख्या [illegible]501 रकबा 0.22 हैक्टर पर कब्जा अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 का है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या दो पर विवाद नहीं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या तीन पर आराजीयात स्थित होना स्वीकार है मगर आराजी संख्या 1501 रकबा 0.22 हैक्टर पर कब्जा अप्रार्थीगण संख्या तीन से लगायत सात तक का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या चार पर विवाद नहीं।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या पॉच अदालत के विचारणीय है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या छः गलत होने से स्वीकार नहीं है। मौके पर कोई विवाद नहीं।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या सात गलत होने से स्वीकार नहीं।
8. यह की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या आठ अदालत के विचारणीय है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या नो गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थी को कोई बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा नहीं होता है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या दस अदालत के विचारणीय है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या ग्यारह में प्रार्थी ने शपथ पत्र गलत पेश किया है जवाब की पुष्टि में शपथ पत्र पेश है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या बारह अदालत के विचारणीय है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आराजी संख्या 1501 रकबा 0.22 हैक्टर प्रार्थी का कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर यह निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए की आराजी खसरा संख्या 5095 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर, आराजी खसरा संख्या 5096 रकबा 0.21 हैक्ट0, आराजी संख्या 5101 रकबा 0.22 हैक्ट0, आराजी संख्या 7468/5105 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस [illegible] पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:29 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official